TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION Jaipur, March 9, 2010

S.O.406.- In exercise of the powers conferred by section 4B of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951, (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, makes the following amendment in this department Notification No.F6.(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/25 Dated 31-03-2006; namely:-

AMENDMENT

In the said Notification the existing proviso (2) shall be substituted by the following; namely:-

"(2) for the motor vehicles falling under the sub-clauses (v), (vi) and (vii) of clause 1 and clause 2, the maximum amount of Special Road Tax shall not exceed Rs. 35000/- per month."

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/25A] By Order of the Governor,

(Manoj Kumar Sharma), Deputy Secretary to Government.

Government Central Press, Jaipur.

राजस्थान सरकार परिवहन विभाग जयपुर, ९ मार्च, २०१० अधिसूचना

एस.ओ.४०६.- राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, १९५१ (१९५१ का अधिनियम सं. ११) की धारा ४ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना सं.एफ.६(१७१)परि/कर/मु॰/९५/२५, दिनांक ३१. 3.2006 में इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में विद्यमान परन्तुक (२) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

> ''(2) खण्ड १ और खण्ड २ के उप-खण्ड (v), (vi) और (vii) के अधीन आने वाले मोटर यानों के लिए विशेष सड़क कर की अधिकतम रकम 35000/- रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं होगी।"

> > [एफ.6(१७९)परि/कर/मु॰/९५/२५ए] राज्यपाल के आर्देश से,

> > > मनोज कुमार शर्मा, शासन उप सचिव